● **आवंटन से क्षुब्ध व्यक्ति के लिए उपचार :-** कृषि आवंटन की दशा में धारा 198 [4] के अन्तर्गत, आवास आवंटन की दशा में नियम 115 पी०, व धारा 122 डी के अन्तर्गत क्षुब्ध व्यक्ति कलेक्टर के न्यायलय में आवेदन पत्र दे सकते हैं।

कृषि आवंटन हेतु पात्रता क्रम

(1) भारत की सशस्त्र सेना में रहते हुए शत्रु आक्रमण के समय युद्ध करते हुए, वीर गति प्राप्त किए सैनिक की भूमिहीन विधवा, पुत्र अविवाहित पुत्रियाँ तथा माता-पिता जो सम्बन्धित भू०प्र०स० क्षेत्र में निवास करते हैं।

(2) भारत की सशस्त्र सेना में रहते हुए शत्रु आक्रमण के कारण अक्षम हुआ सैनिक/व्यक्ति जो सम्बन्धित भू०प्र०स० क्षेत्र मे निवास करते हैं।

(3) सम्बन्धित भू०प्र०स० क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जाति/जन जाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूर।

(4) सम्बन्धित भू०प्र०स० क्षेत्र में निवास करने वाले अन्य जाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूर।

(5) सम्बन्धित भू०प्र०स० में रहने वाले ऐसे भूमिधर या आसामी जिनके पास 3.125 एकड़ से कम भूमि है।

(6) सम्बन्धित भू०प्र०स० में रहने वाला भारत की सशस्त्र सेना का सेवा निवृत्त सैनिक जो अधिकारी वर्ग से भिन्न सेवा में रहा हो तथा भूमिहीन हो।

(7) सम्बन्धित भू०प्र०स० में रहने वाला भूमिहीन स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी जिसे राजनैतिक पेंशन न मिलती हो।

(8) सम्बन्धित न्याय पंचायत में रहने वाला अनुसुचित जाति/जन जाति का भूमिहीन खेतिहर मजदूर।

आवास आवंटन हेतु पात्रता क्रम

(1) सम्बन्धित गाँव में निवास करने वाला अनुसूचित जाति/जन जाति का खेतिहर मजदूर तथा ग्रामीण शिल्पकार।

(2) सम्बन्धित गाँव में निवास करने वाला अन्य खेतिहर मजदूर/ग्रामीण शिल्पकार।

(3) सम्बन्धित गावँ में निवास करने वाला अनुसूचित जाति/जन जाति का कोई अन्य व्यक्ति।

भूमिहीन :- भूमिहीन से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों को मिलाकर भूमिधर या आसामी के रूप में कोई भूमि न हो तथा आवंटन से दो पूर्वगामी वर्षों में भी कोई भूमि न हो।

खेतिहर मजदूर :- खेतिहर मजदूर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत खेती सम्बन्धी मजदूरी हो।

ग्रामीण शिल्पकार :- ग्रामीण शिल्पकार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसके पास कोई कृषि योग्य भूमि न हो तथा जीविका का मुख्य स्रोत कृषि सम्बन्धी परम्परागत औजारों तथा यंत्रों के निर्माण तथा मरम्मत हो, इसमें मुख्य रुप से बढ़ई, जुलाहा, लोहार, कुम्हार, रजतकार, स्वर्णकार, नाई, धोबी ऐसे अन्य पात्र व्यक्ति सम्मिलित हैं।

राजस्व संग्रह कार्य

तहसील में संग्रह की जिम्मेदारी तहसीलदार/उप जिलाधिकारी की होती है। वसूली हेतु क्षेत्र में संग्रह अमीन वास्तविक वूसली करते हैं तथा नायब तहसीलदार उसका पर्यवेक्षण करते हैं। वसूली अभिलेखों का रख-रखाव तहसील कार्यालय में वासिल बाकी नवीस के कार्यालय में होता है, जिसमें सहायक वासिल बाकी नवीस उसकी सहायता करते हैं। वसूली हेतु जन सामान्य की जानकारी हेतु निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं :-

- जब कभी भी संग्रह अमीन को कोई धनराशि दी जाय तुरन्त उसकी रसीद प्राप्त कर ली जाय।
- बाकीदार स्वयं रूचि लेकर अपना बकाया जमा करें। वसूली की कार्यवाही बाकीदार/जमानतदार/सहखातेदार में से किसी से भी की जा सकती है। वसूली की कार्यवाही में बाकीदार/जमानतदार की कोई भी चल/अचल सम्पत्ति/कुर्क/नीलाम की जा सकती है।
- वसूली में कई उत्पीड़क कार्यवाही भी की जायेगी। जैसे—

— माँग पत्र व उपस्थिति पत्र देकर,
— बाकीदार के विरुद्ध वारण्ट निर्गत करके व उसे गिरफ्तार करके।
— बाकीदार की चल सम्पत्ति की कुर्की और नीलामी द्वारा,
— बाकीदार की अचल सम्पत्ति की कुर्की और नीलामी द्वारा,
— बाकीदार की भूमि की कुर्की एवं नीलामी द्वारा तथा रिसीवर नियुक्त कर।

बाकीदार/जमानतदार के विरुद्ध वसूली की सभी उत्पीड़क कार्यवाहियाँ एक साथ की जा सकती हैं। राजस्व वसूली के रूप में बिजली बिल का बकाया, बैंक ऋण, टेलीफोन बिल का बकाया, न्यायालय द्वारा आरोपित हर्जाना, सिंचाई कर, व्यापार कर, मोटर एक्सीडेण्ट क्लेम आदि की वसूली की जाती है।